RCMS/2017/00035

A 124/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/11/18	पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण दिनांक 20/11/18 को नियत था। वकील अपीलार्थी, अपीलार्थी सं. 1 श्री सुखलाल डांगी व रेस्पो. श्री पन्नालाल डांगी उपस्थित होकर प्रकरण आज दिनांक 13/11/18 को सुनने हेतु निवेदन किया। निवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज दि. 13/11/18 को सुना गया। वकील अपीलार्थी व उपस्थित पक्षकारों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर इस प्रकरण के विवाद को निपटाने हेतु आपस में राजीनामा कर लिया है। विपक्षी भी विवादित नामान्तरकरण सं. 15 दिनांक 25/5/89 से सहमत है। विवादित भूमि अपीलार्थी के पिता मनु के बजाय विरासत से अपीलान्टस के नाम दर्ज की गई। इससे भी सहमति प्रकट की गई। अतः अब नामान्तरकरण सं. 15 के सम्बन्ध में विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा होकर रेस्पो. के कोई हक व अधिकार नहीं है, जिसमें रेस्पो. किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे व न कोई कार्यवाही करावेंगे। रेस्पो. को अपील अपीलार्थी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः में उक्त राजीनामा अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया। चूंकि वकील अपीलान्ट व उपस्थित पक्षकारों द्वारा उनके मध्य राजीनामा होने से अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया है, अतः आपसी राजीनामे के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा का निर्णय दिनांक 10/5/2017 निरस्त किया जाता है। अतः पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर ग्रामक से दाखिल हो। [signature]	सुखलाल पन्नालाल KRD Adv (अभिभाषक अपीलार्थी)